महोबा पुलिस

दिनांक- 05.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 984/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 05.11.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



दिनांक- 05.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 985/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने काली माता मंदिर चोरी की घटना में शेष वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोडं के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने काली माता मंदिर, कठकुलवापुरा, बंधानवार्ड में हुई चोरी की घटना से संबंधित शेष वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उक्त घटना के संबंध में दिनांक 01.11.2026 को वादी श्री विपिन चौरसिया पुत्र श्री चिंताहरण चौरसिया, निवासी मोहल्ला शेखनपुरा, महतवाना, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा की तहरीर पर मु0अ0सं0 520/2026, धारा 305(d)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में एक अभियुक्त को पूर्व में दिनांक 02.11.2026 को चोरी की गयी सम्पत्ति को शत प्रतिशत बरामद करते हुये गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में शेष वांछित अभियुक्त राजकिशोर पुत्र विजयशंकर शुक्ला, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम मझगवां, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर, हाल पता इंडियन गैस एजेंसी के पास, लौड़ी तिराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को आज दिनांक 05.11.2026 को मस्जिद के पास, मोहल्ला समद नगर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के ई-रिक्शा संख्या UP 95 AT 1547, चेचिस नंबर MD9JMTUE4DB925092 को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। साथ ही मुकदमे में धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

राजकिशोर पुत्र विजयशंकर शुक्ला, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम मझगवां, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर, हाल पता इंडियन गैस एजेंसी के पास, लौड़ी तिराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।

सीज संपत्ति:

एक अदद ई-रिक्शा संख्या UP 95 AT 1547, चेचिस नंबर MD9JMTUE4DB925092।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 अभिनव सिंह
2. का0 प्रदीप कुमार मौर्या

दिनांक- 05.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 986/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना खरेला

थाना खरेला क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 28.10.2026 को थाना खरेला क्षेत्रान्तर्गत एक युवक के साथ मारपीट एवं अभद्रता करते हुए उसे धमकी देने का प्रकरण सामने आया था। प्रकरण के संबंध में थाना खरेला पर मु0अ0सं0 75/2026, धारा 308(4), 127(2), 115(2), 352 बीएनएस के तहत 03 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 05.11.2026 को सम्बन्धित मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नरेन्द्र राजपूत पुत्र लक्ष्मण, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम गौरहारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 77/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना खरेला के उक्त प्रकरण में शेष 02 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

नरेन्द्र राजपूत पुत्र लक्ष्मण, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम गौरहारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा।

बरामदगी:

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 81/2024, धारा 380/411 भादवि, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।
2. मु0अ0सं0 71/2026, धारा 115(2), 126(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना चरखारी, जनपद महोबा।
3. मु0अ0सं0 318/2019, धारा 13 जी एक्ट, थाना चरखारी, जनपद महोबा।
4. मु0अ0सं0 75/2026, धारा 308(4), 127(2), 115(2), 352 बीएनएस, थाना खरेला, जनपद महोबा।
5. मु0अ0सं0 75/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना खरेला, जनपद महोबा।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
2. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
3. हे0का0 वेद प्रकाश

दिनांक- 05.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 987/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा

एक नफर वाछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 233/2026, धारा 105 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया।

वरिष्ठ उ0नि0 रमेश कुमार यादव मय हमराह कां0 आशीष कुमार, म0कां0 देवी सरोज एवं म0कां0 नैंसी सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्ता श्रीमती पूजा पत्नी रमेश, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम भगारी, थाना अजनर, जनपद महोबा, हाल पता मोहल्ला चिंतेपुरा, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्ता उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता -

श्रीमती पूजा पत्नी रमेश, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम भगारी, थाना अजनर, जनपद महोबा, हाल पता मोहल्ला चिंतेपुरा, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.वरिष्ठ उपनिरीक्षक रमेश कुमार यादव
2.कां0 आशीष कुमार
3.म0कां0 देवी सरोज
4.म0कां0 नैंसी सिंह



महोबा पुलिस

दिनांक- 05.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 990/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा श्री गोवर्धन नाथ जू मेला चरखारी की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 05.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत आयोजित होने वाले श्री गोवर्धन नाथ जू मेला चरखारी के दृष्टिगत मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान मेला परिसर, आवागमन मार्गों, प्रवेश एवं निकास द्वारों तथा पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही मेला बंदोबस्त, पुलिस प्रबन्ध, यातायात व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मेला परिसर एवं उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाने तथा प्रमुख एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने, सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती तथा सम्पूर्ण मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रखने, निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को खड़ा कराने तथा मेला क्षेत्र के आसपास यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत फायर सर्विस की उपलब्धता, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक प्रबन्ध तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी मूलभूत व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि मेला प्रारम्भ होने से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं तथा ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी अपने निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर मुस्तैदी से तैनात रहें। श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार रखते हुए उनकी सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री तेजप्रकाश सिंह, उपजिलाधिकारी चरखारी, थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





महोबा पुलिस

दिनांक- 05.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 991/26

धनतेरस पर्व की पूर्व संध्या पर महोबा पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही, जेसीबी के माध्यम से हटवाया गया अवैध अतिक्रमण, सुगम यातायात एवं सुरक्षित बाजार व्यवस्था हेतु चलाया गया अभियान...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज एवं छठ पूजा के दृष्टिगत जनपद में सुदृढ़ कानून एवं शांति व्यवस्था, सुरक्षित परिवेश तथा सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.11.2026 को धनतेरस पर्व की पूर्व संध्या पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत रोडवेज बस स्टैंड के पास सार्वजनिक आवागमन मार्ग को बाधित कर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी सदर श्री शिवध्यान पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह सहित भारी पुलिस, प्रशासन एवं नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में सूचित किए गए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जेसीबी मशीन के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया।

कार्यवाही के दौरान व्यापारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षित एवं व्यवस्थित बाजार व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। सभी व्यापारियों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित सीमा में संचालित करें तथा सार्वजनिक मार्गों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, जिससे आमजन को आवागमन में असुविधा एवं जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाने की अपील की गई।

इसके अतिरिक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस बल के साथ बाजारों, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रभावी पैदल गश्त की गई। इस दौरान पुलिस बल की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए स्थानीय व्यापारियों एवं आमजन से संवाद स्थापित किया गया तथा आगामी त्योहारों को आपसी सौहार्द, शांति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की गई। साथ ही अतिक्रमणकारियों को भविष्य में सार्वजनिक मार्गों पर अवैध अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई।

